कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म.प्र.)

संशोधित कार्यविभाजन आदेश

क्रमांक–43(एक–दो–01)07 सागर, दिनांक 11.04.2025

मैं महेश कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर कार्यविभाजन आदेश क्रमांक 33/(एक–दो–01)07 दिनांक 10.04.2024 में सिविल कोर्ट अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 214, 422 (2) और धारा 441 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व में जारी आदेशों को अधिभावी रूप से अधिष्ठित करते हुये निम्न आंशिक संशोधन करता हूँ।

क	न्यायालय का नाम व स्थान (02)	क्षेत्राधिकार (03)	प्रकरण का प्रकार, जिनकी सुनवाई कर निराकरण किया जाना है (04)
1	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं द्वितीय अति0 सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण खुरई **श्री शोएब खान**	तहसील खुरई एवं मालथौन	***आपराधिक प्रकरण*** 1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. समस्त **व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड खुरई एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मालथौन (वर्तमान व पूर्व श्रृंखला न्यायालय में पदस्थ)** के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न होने वाली नियमित आपराधिक अपील एवं पुनरीक्षण प्रकरण 3. आरक्षी केन्द्र **खुरई, जी.आर.पी.खुरई, खिमलासा, मालथौन बांदरी एवं फॉरेस्ट एक्ट** से उत्पन्न होने वाले सभी जमानत संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482, 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों को छोडकर)। 4. तहसील खुरई से उत्पन्न विद्युत अधिनियम, 2003 से संबंधित प्रकरण (माननीय उच्च न्यायालय से अधिसूचित होने के उपरांत) 5. मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण 6. नगर दण्डाधिकारी खुरई के द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 126, 135, 152, 168, 164 एवं 170 के अधीन की जाने वाली प्रतिबंधात्मक कार्यवाही से संबंधित आदेशों से उत्पन्न दांडिक अपील एवं दांडिक पुनरीक्षण याचिकायें। ***व्यवहार प्रकरण*** 7. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां 8. ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन **5,00,000,00/– अंकन पांच करोड रूपये से अधिक** का हो एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 9. पुलिस आरक्षी केन्द्र **खिमलासा एवं मालथौन** थाना क्षेत्र में घटित दुर्घटनाओं से उत्पन्न समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां। 10. समस्त **व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खुरई एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मालथौन (वर्तमान व पूर्व श्रृंखला न्यायालय में पदस्थ)** के न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों के उत्पन्न नियमित एवं विविध अपील प्रकरण

			11. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 12. मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 24 एवं 26 के अधीन कार्यवाहियां 13. **भू–अर्जन** के अंतर्गत सभी मामले एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 के अधीन आवेदन/निर्देश। 14. **समस्त रिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खुरई** के द्वारा निराकृत सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों से संबंधित कार्य ।
2	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं तृतीय अति0 सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण खुरई **श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव**	तहसील खुरई एवं मालथौन	***आपराधिक प्रकरण*** 1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. तहसील **खुरई एवं मालथौन** से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत रिमांड स्तर से समस्त मामले एवं उनसे संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाहियां एवं जमानत याचिकायें। 3. आरक्षी केन्द्र **जी.आर.पी.खुरई एवं खिमलासा** से उत्पन्न होने वाले सभी जमानत संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482, 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023। 4. समस्त **व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, खुरई (वर्तमान व पूर्व पदस्थ)** के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न होने वाली आपराधिक अपील एवं पुनरीक्षण प्रकरण ***व्यवहार प्रकरण*** 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां 6. ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन रूपये **1,00,000,01/– एक करोड एक रूपये से 5,00,000,00/– अंकन पांच करोड रूपये** तक का हो एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 7. पुलिस आरक्षी केन्द्र **खुरई एवं बांदरी** थाना क्षेत्र में घटित दुर्घटनाओं से उत्पन्न समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां। 8. समस्त **व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, खुरई (वर्तमान व पूर्व पदस्थ)** के न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों के उत्पन्न नियमित एवं विविध अपील प्रकरण 9. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकरण (परिवार न्यायालय सागर के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोडकर) 10. हिन्दू अप्राप्तवय एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां। 11. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां। 12. हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां।

			13. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 192 से 195 के अधीन क्यूरेटर से संबंधित कार्यवाहियां 14. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग 10 के अंतर्गत प्रकरण एवं प्रोबेट पिटीशन 15. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 के अंतर्गत समस्त प्रकरण (परिवार न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों को छोडकर) 16. संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 से संबंधित प्रकरण 17. बालकों के देखरेख एवं उनके संरक्षण अधिनियम, 2000 एवं 2015, दत्तक ग्रहण अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न अपीलें 18. दिवाला अधिनियम, के अंतर्गत रूपये 1,00,00,000/– अंकन एक करोड रूपये से अधिक मूल्य के प्रकरण 19. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अधीन उत्पन्न मामले एवं कार्यवाहियां। 20. लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 500/– रूपये से अधिक एवं 1000/– रूपये से कम हो। 21. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्वाचन याचिकायें ।

नोटः– उक्त संशोधन के अतिरिक्त शेष कार्यविभाजन/प्रभार आदेश यथावत रहेगा।

11.04.2025

(महेश कुमार शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)

303

पृष्ठाकंन कमांक (एक–दो–01)07 **सागर दिनांकः 11.04.2025**

प्रतिलिपिः–

1. समस्त न्यायाधीशगण जिला स्थापना सागर ।
2. पंजीयन लिपिक खुरई।
3. प्रस्तुतकार/निष्पादन लिपिक प्रधान जिला न्यायाधीश, सागर ।
4. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ खुरई।

की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Sd/-
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)

O/c